

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14—मार्च 20, 2015 (फाल्गुन 23, 1936)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14— MARCH 20, 2015 (PHALGUNA 23, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुम्बई—400001, दिनांक 28 जुलाई 2014

सं. ग्राआन्रवि.केका.आरआरबी.बी.सी.सं. 19/03.05.100/2014-15—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा 6 के खण्ड (बी) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में से निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हटाने का निदेश देता है :—

1. गुडगांव ग्रामीण बैंक, गुडगांव, हरियाणा
2. हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक, हरियाणा

दीपाली पन्त जोशी
कार्यपालक निदेशक

सं. ग्राआन्रवि.केका.आरआरबी.बी.सी.सं. 18/03.05.100/2014-15—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा 6 के खण्ड (ए) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी सूची में से निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करने का निदेश देता है :—

1. सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक, हरियाणा

दीपाली पन्त जोशी
कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 28th July 2014

No. RPCD.CO RRB.BC.No. 19/03.05.100/2014-15—In pursuance of clause (b) of sub section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following Regional Rural Banks, namely :—

1. Gurgaon Gramin Bank, Gurgaon, Haryana
2. Haryana Gramin Bank, Rohtak, Haryana

DEEPALI PANT JOSHI
Executive Director

No. RPCD.CO RRB.BC.No. 18/03.05.100/2014-15—In pursuance of clause (a) of sub section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following Regional Rural Banks, namely :—

1. Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak, Haryana

DEEPALI PANT JOSHI
Executive Director

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in